

राजस्थान सरकार
निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएँ

क्रमांक:—एफ 2()बजट/आवंटन/ICDS/22/

जयपुर, दिनांक 8/9/2022

उपनिदेशक

166972-167308

महिला एवं बाल विकास विभाग (समस्त)

बाल विकास परियोजना अधिकारी,
समेकित बाल विकास सेवाएँ (समस्त)

विषय:—आई.सी.डी.एस. सामान्य योजनान्तर्गत विभिन्न उपमदों में व्यय विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार किए जाने बाबत।

संदर्भ:—विभाग का पत्रांक 60737-61073 दि. 21.4.22, 83664-84000 दि. 19.5.22
111178-514 दि. 30.6.22, 122511-122849 दि. 13.7.22 एवं 144117-453
दि. 3.8.22

उपर्युक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्रों से आई.सी.डी.एस. सामान्य योजनान्तर्गत विभिन्न उपमदों में व्यय किए जाने हेतु विभाग द्वारा समय-समय पर दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। अतः संदर्भित पत्रों से योजना संचालन हेतु नियमानुसार राशि का उपयोग मैचिंग शेड्यूल अनुपात में किया जाना सुनिश्चित करावे।

निदेशक

समेकित बाल विकास सेवाएँ
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक:—एफ 2()बजट/आवंटन/ICDS/22/167309-10

जयपुर, दि. 8/9/2022

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, मुख्यालय को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
2. निजी सचिव, निदेशक महोदय, मुख्यालय।


वित्तीय सलाहकार